



प्रेस विज्ञप्ति

25/09/2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद ने मेसर्स स्टील कनेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित बैंक धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 24.08.2026 को ₹4.53 करोड़ (लगभग) के कुल मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को कुर्क करते हुए अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किया है। मेसर्स स्टील कनेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में धनराशि के कुल दुरुपयोग में ₹79.56 करोड़ की अपराध से अर्जित आय शामिल है।

जांच भारतीय दंड संहिता, 1860 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई थी।

जांच के दौरान यह पाया गया कि मेसर्स स्टील कनेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपने पूर्व निदेशकों के माध्यम से आपस में तथा अज्ञात अन्य व्यक्तियों के साथ मिलीभगत करके स्वीकृत ऋण की शर्तों एवं नियमों का उल्लंघन करने, नकद निकासी के माध्यम से धनराशि का अन्यत्र उपयोग करने तथा किसी वास्तविक व्यावसायिक लेन-देन के बिना सहयोगी कंपनियों को धनराशि हस्तांतरित करने जैसी आपराधिक गतिविधियों को एक सुनियोजित साजिश एवं बैंक को अनुचित हानि पहुंचाने तथा स्वयं को अनुचित लाभ पहुंचाने के बेईमान इरादे से अंजाम दिया और इस प्रकार ऋण राशि का बेईमानीपूर्वक गबन किया।

मेसर्स स्टील कनेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऋण से प्राप्त धनराशि को गैर-कंसोर्टियम बैंक खातों के माध्यम से बड़ी मात्रा में लेन-देन करके, निदेशकों के व्यक्तिगत खातों में उपयोग करके, सहायक कंपनियों के माध्यम से लेन-देन करके आदि के जरिए अन्यत्र भेजने/स्थानांतरित करने में संलिप्त थी।

धन के प्रवाह और धनराशि के उपयोग की गहन जांच करने के पश्चात, ईडी, अहमदाबाद ने ₹4.53 करोड़ (लगभग) मूल्य की अचल एवं चल संपत्तियों को कुर्क करते हुए अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।